

प्रति,

अध्यक्ष

उपभोक्ता विवाद नविवरण आयोग

बैंगलूर, कर्नाटक

विषय: विक्रय वलिख और स्वामित्व अधिकारों के धोखाधड़ी परविवर्तन के संबंध में शिकायत

मान्यवर,

मैं, हीह, बैंगलूर, कर्नाटक का नवासी, संबंधित प्राधिकरण के खिलाफ नमिनलखित मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ:

मामले के तथ्य:

1. मीरा देवी ने विक्रय वलिख पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पंजीकरण से पहले उसमें धोखाधड़ी से परविवर्तन किया गया था, जिसे साबित करने की आवश्यकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय . . बनाम राज्य हरियाणा (2012) में स्पष्ट किया गया है कि यदि दस्तावेज़ में हेराफेरी होती है, तो वह अमान्य हो सकता है।
3. यदि मीरा देवी यह साबित नहीं कर पाती कि वलिख में परविवर्तन हुआ है, तो न्यायालय पंजीकृत वलिख को अंतिम मानते हुए उन्हें केवल 1/3 हस्तांतरण देने का निर्णय ले सकता है।
4. मीरा देवी को साक्ष्य एकत्रित करने, फॉरेसिक परीक्षण कराने और एक अनुभवी संपत्ति वकील से सलाह लेने की आवश्यकता है ताकि उनके दावे को मजबूत बनाया जा सके।

कानूनी आधार:

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(1)(i) "उपभोक्ता" को परिभाषित करती है, जो किसी व्यक्ति को संदर्भित करती है जो वचन के लिए वस्तु या सेवाएँ खरीदता है। इस मामले में, मीरा देवी, संपत्ति की खरीदार के रूप में, उपभोक्ता के रूप में योग्य है और विक्रय वलिख में किए गए किसी भी धोखाधड़ी परविवर्तन के लिए नविवरण की मांग करने का अधिकार रखती है।
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 3 उपभोक्ताओं की अनैतिक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा पर जोर देती है। यदि मीरा देवी यह साबित कर सकती है कि विक्रय वलिख को धोखाधड़ी से परविवर्तित किया गया था, तो यह एक अनैतिक व्यापार प्रथा है, जिससे वह अधिनियम के तहत नविवरण मांग सकती है।
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 12 उपभोक्ताओं को किसी भी अनैतिक व्यापार प्रथा या सेवा में कमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देती है। मीरा देवी शिकायत दर्ज कर सकती है यदि वह यह प्रदर्शित करती है कि विक्रय वलिख में परविवर्तन के कारण विक्रेता से सेवा में कमी आई है।
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 14 उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध विभिन्न नविवरणों को रेखांकित करती है, जिसमें अनैतिक व्यापार प्रथाओं के कारण हुए नुकसान या चोट के लिए मुआवजे की मांग करने का अधिकार शामिल है। यदि मीरा देवी अपने मामले को सफलतापूर्वक साबित करती है, तो उन्हें धोखाधड़ी के कार्यों के लिए संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है।

प्रार्थनाएँ:

उपरोक्त के आलोक में, मैं अत्यंत वनिमृता से प्रार्थना करता हूँ कि:

1. यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायालय मीरा देवी को वलिख में किए गए धोखाधड़ी के परविवर्तन को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे, और इसके लिए 30 दिनों का समय

नरिधारति करे।

2. यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायालय वलिख की मूल प्रत और अन्य संबंधति दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच के आदेश दे, ताकि धोखाधड़ी की पुष्टि की जा सके।

3. यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायालय मीरा देवी को पूर्ण भूमिका स्वामति प्रदान करने का आदेश दे, यदि वह वलिख में हेराफेरी के साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल होती है।

संलग्न दस्तावेज:

1. मूल वकिर्य वलिख की प्रत
2. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रत
3. गवाहों के बयान/गवाही के रकिर्ड
4. फोरेंसिक रिपोर्ट (हैंडराइटिंग और इंक विश्लेषण)
5. संबंधति कानूनी मामलों के नरिण्यों की प्रतियां (जैसे और .. )

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख: 18 मई, 2025

स्थान: बैंगलोर, कर्नाटका

आपका विश्वासी,

हीह

संपर्क: 1234567890

पता: बैंगलोर, कर्नाटका